

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-49/2022

निमेश मिश्रा.....वादी

बनाम

प्रमोद कुमार शुक्ला एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.11.2024	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0-04 ता 06 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 12.09.2024 अंतर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम के धारा 05 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।</p> <p align="center">आदेश (ORDER)</p> <p>प्रतिवादी सं0-04 ता 06 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 12.09.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0-01 अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिनांक 20.05.2024 को उपस्थित हुए तथा अपना लिखित कथन दिनांक 12.09.2024 को दाखिल किये है। प्रतिवादी सं0-04 ता 06 को कुछ आवश्यक कागजता समयानुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण लिखित कथन दाखिल करने में विलंब हो गया है। प्रतिवादी सं0-04 ता 06 द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0-04 ता 06 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय।</p> <p>वादी की ओर से प्रतिवादी सं0-04 ता 06 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0-04 ता 06 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0-04 ता 06 दिनांक 20.05.2024 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 12.09.2024 को प्रतिवादीगण की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित</p>	

न्यायालय-नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-४९/२०२२

निमेश मिश्रा.....वादी

बनाम

प्रमोद कुमार शुक्ला एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 16.11.2024</p>	<p>सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं०-०४ ता ०६ को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं०-०४ ता ०६ द्वारा नियत समय के बाद दिनांक १२.०९.२०२४ को न्यायालय में आवेदन देकर बयान तहरीरी को स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं०-०४ ता ०६ का आवेदन दिनांक १२.०९.२०२४ मो०-२०००/- रुपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं०-०४ ता ०६ की ओर से दिये गये बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है।</p> <p>आगामी दिनांक १७.१२.२०२४ वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p style="text-align: center;">अवर न्यायाधीश नरकटियागंज</p>	
-------------------------------------	--	--